METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

#OPERATIONCONVICTION

#AMETHIPOLICE

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे Operation Conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोगों में अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अपहरण के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 05 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10000 रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी ।

एडीजीसी श्री रविन्द्र प्रताप सिंह

पैरोकार हे0का0 मनोहर लाल चौधरी

अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि वादिनी मुकदमा द्वारा दिनांक 17.05.2021 समय 9.54 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर वादिनी की पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसला कर भगा ले जाने पर मु0अ0सं0 123/2021 धारा 363/366/376/ भादवि व 3/4पॉक्सो एक्ट थाना अमेठी पर पंजीकृत कराया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करके माननीय न्यायालय सुलतानपुर में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप दिनांक 26.03.2025 को माननीय न्यायालय एएसजे प्रथम पॉक्सो एक्ट सुल्तानपुर द्वारा अभियुक्त को *5 वर्ष का कठोर कारावास तथा 10,000 रु0 के अर्थदण्ड* की सजा सुनायी गयी। अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा।

सजा का विवरण:-

- अभियुक्त को *5 वर्ष का कठोर कारावास।*
- *अभियुक्त को 10,000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास।*

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-

- ***प्रदीप कुमार उर्फ राम सवारे पुत्र पुल्ली नि0 कलहापारा थाना हुजूरपुर जनपद बहराइच।***